न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 10/2021
3. उनवान : 1. श्री रमेश पुत्र नन्दा
   2. श्री हीरालाल पुत्र नन्दा
   निवासीयान मालियों की ढाणी भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फुलेरा मु. सांभरलेक
2. श्री मदन पुत्र नन्दा निवासी मालियों की ढाणी भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थी

4. निर्णय दिनांक : 23.01.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत अपीलान्ट ओर से।
   ब) सरकार पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री प्रवीण शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 148/1 रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा चाही 2 बारानी 2 कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा जो वाके ग्राम भांवसा प0ह0 कन्देवली तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपीलांट एवं स्व0 राजा देवी एवं रेस्पो0 नं. 02 मदन दिनांक 18/05/2017 को रेकोर्डेड, खातेदार काश्तकार थे। उक्त आराजी रोड पर स्थित है। उक्त खसरा नंबर के पीछे रामेश्वर पुत्र नानगराम माली निवासी भांवसा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। उक्त रामेश्वर ने मुख्य रोड से अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता लेने की गरज से मोतीलाल जाट से साज कर अपीलांटस व उनकी माता राजा देवी व भाई मदन को मुगालता देकर खसरा नंबर 148/1 रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण अपने खेत की सीमा तक का समर्पणनामा तहसील/राजस्थान सरकार के हक में तहरीर कराकर ख.नं. 148/1 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि रेकार्ड में गै0मु0रास्ते के रुप में समर्पणनामा स्वीकार कराकर नामा0 सं0 408 दिनांक 9.10.2017 को पटवारी हल्का से भरवाकर रेस्पो0 तहसीलदार से बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये 13.10.2017 को नामा0 तसदीक कराकर राजस्व रिकार्ड मे खसरा नंबर 375/148 रकबा 04 बिस्वा गै0मु0 रास्ता अंकन करा लिया जबकि अपीलांट व राजा देवी एवं मदन की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 148/1 रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा रोड किनारे है। रास्ते के लिये भूमि समर्पण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त तथ्य की अपीलांट को दिनांक 02.04.2021 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने गया तब जानकारी हुयी। जिस पर दिनांक 28.05.2021 को समर्पणनामा की नकल प्राप्त होने पर समस्त तथ्यों की जानकारी हुयी। अपीलान्ट्स की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 148/1 रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा रोड के लगवा है, जिसमें आने जाने हेतु रास्ता के लिये अपीलांट को कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में रास्ते के लिये भूमि समर्पण करने का कोई आधार पत्रावली पर समर्पणनामा के संलग्न नक्शे से जाहिर नहीं है। नामा0 तस्दीक करने के पूर्व उक्त अहम तथ्यों को अनदेखा कर नामा0 तस्दीक करने में महान भूल की है। समर्पणनामा दिनांक 18/5/2017 फर्जी व कूटरचित है क्योंकि अपीलांट्स व उनकी माता एवं भाई मदन राजस्व मामलों में कम समझते है। इसलिये प्रार्थीगण/अपीलांट एवं उनकी माता स्व0 राजा देवी एवं रेस्पो0 नं0 2 मदन को नन्दा का फौती नाम0 खुलवाने के लिये सांभर मोतीलाल व रामेश्वर लेकर आया था तथा फौती नामा0 खुलवाने की कहकर स्टाम्प पर व कुछ खली कागजों पर रामेश्वर व मोती ने नन्दा के वारिसों यानि अपीलांट व उनकी माता व रेस्पो0 नंवर 2 के हस्ताक्षर करवाये थे। उन स्टाम्प व कागजातों का दुरुपयोग करते हुये रामेश्वर व मोतीराम ने रामेश्वर को फायदा पहुंचाने की गरज से अपीलांट की जमीन हडप करने की गरज से राजस्व अधिकारी से मिलिभगत करके फर्जी कूटरचित समर्पणनामा करवाया है तथा फर्जी कूटरचित समर्पणनामा के आधार पर विधि विरुद्ध नामा0 खोला है। समर्पणनामा के संलग्न जो नक्शा दर्शित किया है, उसके अनुसार खसरा नंबर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR • (Rajasthan)

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

148/1 रोड के दक्षिण में लगवा है। उक्त भूमि में पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण 12 फीट चौडाई अर्थात डेढ गठ्ठा चौडाई रकबा 04 बिस्वा का, जो समर्पणनामा खसरा नंबर 148/1 की पूर्वी दक्षिणी कूंट तक दर्शित किया है, वह अपीलांट्स के उपयोग का होना कतई जाहिर नहीं है। ऐसी स्थिति में नामा0 तस्दीक करने के पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का मौका न देकर एकतरफा में नामा0 तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ तहसीलदार ने नामा0 सुनवाई करने के पूर्व नामा0 सम्बन्धित नियमों की पालना नहीं की और सरसरी तौर पर नामा0 समर्पणनामा के संलग्न नक्शे पर गौर किये बिना तस्दीक कर दिया। अपीलांट्स अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 148/1 के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है। समर्पणनामा अनुसार व नामा0 अनुसार न तो मौके पर रास्ता काटा गया न आवागमन के उपयोग में आता है और न ही ऐसा कोई रास्ते संबंधी कोई तथ्य नामा0 की पुश्त पर अंकन है। अधीनस्थ तहसीलदार ने नामा0 की वैधानिक जांच नहीं की। साथ ही तहसीलदार ने कथित नामा0 की कोई वैधानिक सूचना नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई। आदेश जेर नामा0 कतई इलिगल, कान्ट्रेरी टू ला एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। आदेश नामा0 न्याय एवं प्रकृति के सहज सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। कथित नामा0 सं0 13.10.2017 को स्वीकार किया गया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.04.2021 को जब अपीलांट्स जमाबंदी की नकल लेने गया तब हुयी। इसके पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। जिस पर अपीलांट ने उसी दिन नामा0 संख्या 408 व जमाबंदी की नकल प्राप्त कर कानूनी जानकारी कर समर्पणनामा की 18.05.2021 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम समस्त तथ्यों की जानकारी हुयी।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ तहसीलदार फुलेरा का आदेश नामा0 संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं अन्य दस्तावेज की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपील के प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वाके ग्राम भांवसा, पटवार हल्का कन्देवली तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नंबर 148/1 रकबा 1.2392 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही 2/बारानी 2 अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की माता/भाई के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 148/1 का एक भाग खसरा नंबर 375/148 रकबा 0.0506 हैक्टेयर अर्थात अर्थात 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता सरकारी खाते में दर्ज है। जमाबंदी प्रति संलग्न है। अपीलाधीन समर्पणनामा दिनांक 18.05.2017 में स्टाम्प पर स्टाम्प केता के रूप में वादी हीरालाल के हस्ताक्षर एवं सभी अपीलान्ट के हस्ताक्षर है व फोटोग्राफ भी चस्पा है एव प्रत्येक पृष्ठ पर व नक्शा ट्रेस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर व फोटोग्राफ चस्पा है एवं समर्पणनामा स्वीकृति स्वरूप तत्कालीन तहसीलदार के हस्ताक्षर भी है। इस प्रकार उक्त समर्पणनामा व नामान्तरकरण संख्या 408 विधि सम्मत स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन समर्पणनामा दिनांक 18.05.2017 को अपीलान्ट द्वारा फर्जी कूटरचित बताया गया है, जो कथन मिथ्या है। समर्पणनामा के स्टाम्प पर स्टाम्प केता के रूप में वादी हीरालाल के हस्ताक्षर एवं सभी अपीलान्ट के हस्ताक्षर है व फोटोग्राफ भी चस्पा है एवं समर्पणनामा स्वीकृति स्वरूप तत्कालीन तहसीलदार के हस्ताक्षर भी है। इस प्रकार उक्त समर्पणनामा एवं नामान्तरकरण संख्या 408 विधि सम्मत स्वीकार किया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 408 तस्दीक दिनांक 13.10.2017 एवं समर्पणनामा दिनांक 18.05.2017 विधिक प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सं0 408 दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध अपील पेश की है। तहसीलदार फुलेरा ने उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध खोला है। प्रार्थी ने राज्य सरकार को कोई भूमि समर्पण नहीं की है। उक्त समर्पणनामा फर्जी व कूटरचित है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जावे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन सम्पूर्ण भूमि में अपीलांट एवं स्व0 राजा देवी एवं रेस्पो0 नं. 02 मदन दिनांक 18/05/2017 को रेकोर्डेड, खातेदार काश्तकार थे। रामेश्वर ने मुख्य रोड से अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता लेने की गरज से मोतीलाल जाट से साज कर अपीलांटस व उनकी माता राजा देवी व भाई मदन को मुगालता देकर खसरा नंबर 148/1 रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि का समर्पणनामा तहसील/राजस्थान सरकार के हक में तहरीर कराकर ख.नं. 148/1 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि रेकार्ड में गै0मु0रास्ते के रुप में से बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये 13.10.2017 को नामा0 तस्दीक करवा ली। समर्पणनामा दिनांक 18/5/2017 फर्जी व कूटरचित है। रामेश्वर व मोती ने नन्दा के वारिसों यानि अपीलांट व उनकी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर